

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA



केवल/ई-मेल

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय

दक्षिण मार्ग, सेक्टर - 32 ए

चंडीगढ़ - 160030 (यू टी)

फैक्स : 0172-2605027

दूरभाष: 0172-2605027

ईमेल : zone.north.soi@gov.in

सं॰ प्रशा.-574 37-जी-9



Northern Zone Office

Dakshin Marg, Sector 32 A Chandigarh – 160030 (UT)

Fax – 0172-2605027

Telephone - 0172-2605027

Email - zone.north.soi@gov.in

दिनांक 14 फरवरी,2023

नेमी आदेश सं.प्रशा. 02 /37-जी-9 दिनांक 14 फरवरी, 2023

1. पदोन्नित (PROMOTION):-

इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से "स्थापना एवं लेखा अधिकारी" के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 में नियमित आधार पर पदोन्नित प्रदान की जाती है:-

The following officer has been promoted to the post of "Establishment and Accounts Officer" on regular basis in the Pay Matrix level-7 with effect from the date shown against his name:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	पदोन्नति पर पद	पदोन्नति की तिथि	प्राधिकार
SI.No.	Name & Designation	Designation of Promotion	Date of Promotion	Authority
	श्री बारू दास, कार्यालय अधीक्षक	स्थापना एवं लेखा अधिकारी	10-02-2023 (अपराहन)	महासर्वेक्षक कार्यालय के दिनांक 10-02-2023 का पत्र
1	Sh. Baru Dass, Office Suptd.	Establishment and Accounts Officer		सं.सी717/718-ए
				(SGO's Letter No. C- 717/718-ए dated 10-02-2023.

- 1. उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी. द्वारा किया जाएगा । The pay of the above officer will be fixed by the Head of Office, Pb. Hr. and Chandigarh GDC.
- 2. उपरोक्त अधिकारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर. 22 (1) (ए) (1) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा। The Officer concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) within one month.
- 3. अतिरिक्त सिन्निहित व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।

 The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the financial year 2022-23 and debited to the appropriate Head of Account.

(अमरदीप सिंह

कर्नल

अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र

प्रतिलिपिः

- भारत के महासर्वेक्षक, देहराद्न को सूचनार्थ।
- 2. निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी. चण्डीगढ़ को आवश्यक कार्रवाई हेत् ।
- 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ।